

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	माघ 4, गुरुवार, शाके 1934—जनवरी 24, 2013 <i>Magha 4, Thursday, Saka 1934—January 24, 2013</i>	

भाग 4 (ग)

उप—खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य—प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप—विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)

सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 24, 2013

जी.एस.आर. 97 :- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 1 के उप—नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, 26 जनवरी, 2013 को, इसके द्वारा उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त नियम प्रवृत्त होंगे।

[संख्या प.1(8)वित्त/साविलेनि/2011]

राज्यपाल के आदेश से,

अखिल अरोरा,

शासन सचिव,

वित्त (बजट)।

**FINANCE (G&T)DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Jaipur, January 24, 2013

G.S.R. 97.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 1 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government hereby appoints 26th January, 2013 as the date, on which said rules shall come into force.

[No.F1 (8)FD/GF&AR1/2011.]

By Order of the Governor,

Akhil Arora,

Secretary to the Government,

Finance (Budget).